न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–62/2015 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामकली पत्नि स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद,
2. रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद,
3. बनवारी पुत्र स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद,
4. जगदीश पुत्र स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद जाति माली निवासी ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.....अपीलांटान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :
1. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–16.11.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरारहक इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 233 रकबा 0.17 ऐयर जिसके साबिक ख0 नं0 492 रकबा 0.16 ऐयर व 490 रकबा 0.01 ऐयर तथा हाल ख0 नं0 252 रकबा 1.09 है0 जिसके साबिक ख0 नं0 483 रकबा 1 बीधा 9 बिस्वा वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ में स्थित है जिसका वादी तन्हा काबिज खातेदार काश्तकार है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी वादी के बुजुर्गानी आराजी है जो आराजी वादी को विरासत में प्राप्त हुई थी तथा भू–प्रबन्ध से पूर्व उक्त सालिम आराजी पर वादी के पिता व चावड्या काश्त करते थे तथा उनके फौत होने के बाद अब वादी विवादित आराजी पर कबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने उक्त आराजी को गैर खातेदारी में इन्द्राज कर दिया जबकि ऐसे परिवर्तन का उन्हें कोई अधिकार नहीं था । इसलिए वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया ।

16/11/17

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए वादी का वाद लोक अदालत में दि0 23.05.2015 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 23.05.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों को दोहराया तथा पेश रेकार्ड के आधार पर कहा कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 237 रकबा 17 ऐयर जिसके साबिक ख0 नं0 492 रकबा 16 बिस्वा व 490 रकबा 1 बिस्वा व हाल आराजी ख0 नं0 252 रकबा 1.09 है0 जिसके साबिक ख0 नं0 483 रकबा 1.09 बीघा वाके ग्राम गोविन्दगढ़ में है जिसके बन्दोबस्त से पूर्व वादी/अपीलांट रेकार्डेड खातेदार काश्तकार थे तथा इन्हें ये आराजी विरासत में प्राप्त हुई है परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने बिना किसी आधार के विवादित आराजी को गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया जो खिलाफ कानून व मौका है । इस संबंध में कई कानूनी नजीरों का हवाला देते हुए कहा कि बन्दोबस्त विभाग को तो पूर्व के इन्द्राजों को यथावत कायम रखना चाहिए । बन्दोबस्त विभाग को किसी भी प्रकार से खातेदारी के इन्द्राजों को बदलने या रकबा कम ज्यादा करने का अधिकार कतई नहीं है । इन्हीं इन्द्राजों को दुरूस्त कराने हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायर किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दि0 23.05.2015 से लोक अदालत में खारिज कर दिया गया है । इसमें हमें सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करके अपीलांट को खातेदार घोषित कराने की आज्ञा प्रदान की जावें ।

अपीलांट अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को भी दोहराते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना लोक अदालत में वाद वादी गलत रूप से खारिज किया है । लोक अदालत में सहमति की भावना से वाद का निस्तारण किया जाता है परन्तु वहां पर न तो वादी/अपीलांट को सूचना दी गयी और न ही लोक अदालत की भावना से वाद का निर्णय किया गया है ।

हमने बन्दोबस्त से पूर्व की जमाबन्दी की नकल पेश की है । सम्वत् 2012 की जमाबन्दी एक्जी.2 के अनुसार साबिक ख0 नं0 483 रकबा 1.09 बीघा साबिक ख0 नं0 492 रकबा 16 बिस्वा के वादी के पिता खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड हैं परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने दौराने बन्दोबस्त सम्वत् 2028 में हाल ख0 नं0 233 रकबा 0.17 है0, 252 रकबा 1.09 है0 कायम करके वादी के पिता चावंड्या को गलत रूप से गैर खातेदार काश्तकार रेकार्ड में दर्ज कर दिया जिसे अपीलांट दुरूस्त कराकर अपने आपको साबिक रेकार्ड के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है ।

पैरोकार सरकार अभिभाषक की भी बहस सुनी गयी । पैरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को सही खारिज किया है क्योंकि राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़ ने अपने जवाब में कहा है कि गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने के लिए शर्तो की पूर्ति किया जाना आवश्यक है । आगे कहा कि प्रकरण बन्दोबस्त की दुरूस्ती का नहीं है । साबिक जमाबन्दी पेश जरिये नायब तहसीलदार के अनुसार जमाबन्दी

16/11/17

सम्वत् 2014 के अनुसार साबिक ख0 नं0 416 रकबा 1.03 बीघा जमाबन्दी के कॉलम सं0 5 के अनुसार आबादी देह रेकार्ड में दर्ज है । इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2014 के अनुसार आराजी ख0 नं0 483 रकबा 1.09 बघा "रामकिशन पुत्र रामचन्द निस्फ चावंडा वल्द घूडा माली निस्फ गैर खातेदार साल 6 बकाश्त चावंडा मजकूर" दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2014 के साबिक ख0 नं0 492 रकबा 16 बिस्वा में जमाबन्दी के कॉलम नं0 5 में "रामकिशन वल्द रामचन्द व चावंड्या पुत्र घूड़ा माली बहिस्सा बराबर सा0देह गैर मौरूसी काश्त चांवड़ा" दर्ज है ।

बहस में आगे कहा कि इस प्रकार वादी/अपीलांट को ही यह सिद्ध करना है कि उन्हें सम्वत् 2014 से किस प्रकार गैर खातेदारी व गैर मौरूसी से खातेदारी सम्वत् 2022 में कैसे प्राप्त हुई । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तथा निर्णय का भी अवलोकन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उभयपक्षों द्धारा पेश रेकार्ड का भी अवलोकन किया ।

अपील में अपीलांट अभिभाषक का मुख्य कथन यह है कि तहत न्यायालय ने लोक अदालत कैम्प में इस प्रकरण का निस्तारण किया है तथा इसमें हमें उपस्थित होने हेतु सूचित नहीं किया गया । हमें बिना सुने ही यह निर्णय दि0 23.05.2015 पारित किया है । यह भी अपील में कहना है कि निर्णय लोक अदालत की भावना से नहीं किया गया है । निर्णय कमेटी में अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं । अपील में यह भी बिन्दू उठाया है कि बन्दोबस्त विभाग ने सम्वत् 2022 के इन्द्राजों से भिन्न 2028 में अपीलांट के पिता चावंड्या की गलत रूप से गैर खातेदारी दर्ज कर दी जिसे उसको किसी प्रकार का अधिकार नहीं था ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें । तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त करके अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावें ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमने पत्रावली का, रेकार्ड का तथा निर्णय का अवलोकन किया । पैरोकार सरकार द्धारा पेश रेकार्ड के अनुसार जिसका विवेचन उपर किया जा चुका है । सम्वत् 2014 में साबिक आराजी के अपीलांट गिर्राज के पिता चावंडा निस्फ हिस्से के गैर खातेदार व गैर मौरूसीदार थे । इसमें यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि सम्वत् 2022 में अपीलांट के पिता सम्पूर्ण हिस्से के खातेदार किस प्रकार से हो गये । रामकिशन भी गैर खातेदार व गैर मौरूसीदार थे, उनका हिस्सा कहां गया ।

न्यायालय के मत में अपीलांट को यह भी सिद्ध करना होगा कि सम्वत् 2022 से पूर्व गैर खातेदारी, गैर मौरूसीदार से खातेदार क्यों व किस प्रकार से हुए हैं । बिना रेकार्ड पेश किये ये नहीं कहा जा सकता है कि बन्दोबस्त विभाग ने पुनः गैर खातेदारी के इन्द्राज क्यों दर्ज किये । द्वितीय रामकिशन का हिस्सा चावंडा को किस प्रकार से प्राप्त हुआ है । ख0 नं0 490 आबादीदेह है तो उसमें गैर खातेदारी कैसे प्राप्त हुई । अपीलांट का यह भी कथन है कि उसे लोक अदालत में जाने और सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है । इन सब बिन्दुओं को पुनः रेकार्ड व सुनवाई व साक्ष्य से तय किया जाना है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और अपीलांट की अपील तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की मोहताज है ।

16/11/17

अतः उपरोक्त आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 23.05.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को और पैरोकार सरकार को साबिक रेकार्ड पेश करने का अवसर देते हुए तथा उभयपक्षों को पुनः सुनकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16.11.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर